23/0
03:55PM

कार्यालय नजारत, जनपद न्यायालय, बाराबंकी
इश्तिहार नीलाम ठेका वर्ष 2018–19

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ठेको की नीलामी दि0 27.03.2018 को समय 4.00 बजे सांय जिला न्यायालय परिसर बाराबंकी में सम्पन्न होगी।

1.दुकान नं01,चाय,मीठा,नमकीन ए0डी0आर0 भवन के निकट निर्वाचन कार्यालय की बाउन्ड्री से सटाकर क्षेत्रफल 10X15 फिट।

2. ठेका लइया चना , जिला जजी परिसर में चौकीदार के पुराने आवास के निकट क्षेत्रफल 10X15 फिट।

3..ठेका फ्रूट जूस, फलो का रस एवं फलो की चाट स्थित जिला जजी परिसर में चौकीदार निवास के निकट क्षेत्रफल 10X15 फिट।

4. ठेका साइकिल स्टैण्ड,दीवानी ब्लाक पीपल पेड के पास क्षेत्रफल 10X15 फिट।

5.ठेका फोटो स्टेट न्यायभवन के सामने क्षेत्रफल 10X15 फिट।

6..ठेका फोटो ग्राफी न्यायभवन के सामने क्षेत्रफल 10X15 फिट।

<u>नियम व शर्ते</u>

1. उक्त ठेको की बोली बोलने हेतु आवेदक को निर्धारित न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत राशि नकद प्रतिभू राशि दि0 27.03.2018 को समय 2.00 बजे तक जमा करनी होगी।

2. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण–पत्र जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।. अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

3. ठेका की अवधि दि0 01.04.2018 से दि0 31.03.2019 तक होगी।

4. जिस भागीदार की बोली सबसे अधिक होगी, उसकी बोली स्वीकृत होने पर चार त्रैमासिक किश्तो में ठेका धनराशि देय होगी। जिसमे एक किश्त बोली स्वीकृत होने पर सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करनी होगी एवं व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व प्रथम किश्त जमा करनी होगी। द्वितीय किश्त, तृतीय किश्त व चौथी किश्त कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथियो में देय होगी। चौथी किश्त न अदा करने पर पूर्व में जमा सिक्योरिटी मनी से जमा कर लिया जायेगा।

5. बोली दाता की बोली स्वीकार होने पर व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व स्टाम्प पेपर पर लीज डीड निष्पादित करना अनिवार्य होगा, तभी व्यवसाय प्रारम्भ कर सकेगा, किसी भी ठेकेदार को सड़क पर व्यवसाय करने की अनुमति नही होगी, ठेका स्थल की साफ सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, ठेकेदार खाद्यय पदार्थ की गुणवत्ता व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेगे, साफ सफाई हेतु डेस्टबिन का प्रयोग अवश्य करेंगे।

6.अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को निरस्त कर सकते है।

7. निर्धारित समय पर वांछित किश्त न जमा करने पर ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा। जिसके फलस्वरूप पुन: नीलामी में जो नुकसान होगा वह ठेकेदार की चल अचल सम्पत्ति से वसूला जायेगा तथा शेष जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

8. ठेकेदार को दुकान की सम्पूर्ण साफ सफाई की व्यवस्था स्वय करनी होगी तथा सारा सामान बर्तन पानी आदि स्वच्छ रखना होगा।

9. ठेकेदार को प्रत्येक दुकान हेतु निर्धारित भूमि में ठेका अवधि तक के लिए अस्थाई निर्माण को अपने व्यय पर करना होगा तथा ठेका अवधि समाप्त होने पर उक्त अस्थाई निर्माण को अपने व्यय पर हटाना होगा।

10. ठेका पर नगर परिषद द्वारा कोई कर अध्यारोपित की जाती है तो उसकी अदायगी का उत्तरदायी स्वयं ठेकेदार का होगा।

11. ठेकेदार को दुकान पर रेट बोर्ड लगाना होगा, जो बाजार की दरो के अनुरूप अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृत किया हुआ होगा।

12. ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्तो का ठेका अवधि में किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

13. उपरोक्त दुकानों की कमदार बोली हेतु निर्धारित न्यूनतम धनराशि (पिछली बोली का 10 प्रतिशत मिलाकर) निम्नवत हैं।

1. दुकान नं01, चाय,मीठा,नमकीन	–	
2.ठेका साइकिल स्टैण्ड	–	रू0 39,930.00
3.ठेका लइया चना	–	रू0 2,,93,700.00
4. ठेका फ्रूट जूस,	–	रू0 23,925.00
5. ठेका फोटो स्टेट	–	रू0 26510.00
6.. ठेका फोटो ग्राफी		रू0 31,678..00
		रू0 8,252.00

कृते जनपद न्यायाधीश,
बाराबंकी।

23/3/18